रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062022-236270
CG-DL-E-03062022-236270

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 396] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 3, 2022/ज्येष्ठ 13, 1944
No. 396] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 3, 2022/JYAISHTHA 13, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2022

सं. 19/2022-सीमाशुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 417(अ).—जहां कि चीन जनवादी गणराज्य, जापान और कोरिया गणराज्य में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित "टोल्यूनि डाई - आइसोसाइनेट (टीडीआई)" (एतद्पश्चात विषयगत वस्तु के रूप में उल्लिखित) जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतद्पश्चात सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद 2929 10 20, के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतद्पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/26/2021-डीजीटीआर, दिनांक 27 अगस्त, 2021, जिसे दिनांक 27 अगस्त, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अत: अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित पैराग्राफ को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :

"3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद, यह प्रतिपाटन शुल्क दिनांक 27 सितम्बर, 2022 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।" ।

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/121/2022-टीआरयू]

नितिश कर्नाटक, अवर सचिव

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 3/2018-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 23 जनवरी, 2018, जिसे सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 23 जनवरी, 2018, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 5 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था,और जिसमे अंतिम बार संसोधन अधिसूचना संख्या 2/2021-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 28 जनवरी, 2021, जिसे सा.का.नि. 53(अ), दिनांक 28 जनवरी, 2021, के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2022

No. 19/2022-Customs (ADD)

G.S.R. 417(E).—Whereas, the designated authority *vide* initiation notification No. 7/26/2021-DGTR dated 27th August, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 27th August, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of "Toluene Di-Isocyanate (TDI)" (hereinafter referred to as the subject goods) falling under Tariff Item 2929 10 20 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, originating in or exported from China PR, Japan and Korea RP (hereinafter referred to as the subject countries), imposed *vide* notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2018-Customs(ADD), dated 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 61(E), dated the 23rd January, 2018, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3/2018-Customs(ADD), dated the 23rd January, 2018, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 61(E), dated the 23rd January, 2018, namely :

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely-

"3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty shall remain in force up to and inclusive of the 27th September, 2022, unless revoked, superseded or amended earlier.".

[F. No. CBIC-190354/121/2022-TRU]

NITISH KARNATAK, Under Secy.

Note : The principal notification No. 03/2018-Customs (ADD), dated the 23rd January, 2018, was published in the Gazette of India, *vide* number G.S.R. 61(E), dated the 23rd January, 2018, and was last amended by notification No. 2/2021-Customs (ADD), dated the 28th January, 2021, published in the Gazette of India, vide number G.S.R 53(E), dated the 28th January, 2021.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.06.03 22:36:29 +05'30'